निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1937 (श0)
(सं0 पटना 463) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015

जल संसाधन विभाग

---

**अधिसूचना**

**16 मार्च 2015**

सं0 22/नि0सि0(पू0)–01–08/2013/644––श्री राजीव नयन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काढ़ागोला के विरूद्ध किशनगंज जिला अन्तर्गत एजेण्डा सं0–113/97 द्वारा पोड़लावाड़ी एवं एजेण्डा सं0–115/10 से पुरूदाहा स्थल पर बाढ़, 2012 के पूर्व कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य में बरती गयी अनियमितता से संबंधित आरोपों की जॉच उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 1107 दिनांक 13.09.13 द्वारा स्पष्टीकरण किया गया।

श्री राजीव नयन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण पर उड़नदस्ता अंचल का मंतव्य प्राप्त किया गया। प्राप्त मंतव्य की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त निम्न आरोपों के लिए श्री राजीव नयन प्रसाद सिंह दोषी पाये गये।

(i) पोड़लावाड़ी एवं पुरूदाहा कार्य स्थलों पर व्यवहृत Porcupine Members में प्रावधान से कम मात्रा में लौह सामग्री का व्यवहार किया जाना।

(ii) पुरूदाहा कार्य स्थल पर एस0 आर0 सी0 की अनुशंसा के अनुरूप कार्य नहीं कराया जाना।

(iii) कार्य स्थल पर उपलब्ध Porcupine में प्रावधान के अनुरूप झांकी उपलब्ध नहीं कराया जाना।

(iv) त्रुटिपूर्ण कार्य करने के लिए संवेदक के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 1577 दिनांक 27.10.14 द्वारा श्री राजीव नयन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काढ़ागोला को ''कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर दो वर्षों के अवधि के लिए असंचयात्मक प्रभाव से अवनति'' का दंड संसूचित किया गया।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री राजीव नयन प्रसाद सिंह के द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। श्री सिंह के द्वारा अपने पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य नहीं देने के कारण इनके पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजीव नयन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काढ़ागोला के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में संसूचित दंड को यथावत रखा जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 463-571+10-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**